सेमीकंडक्टर इकाई में होगा 3700 करोड़ का निवेश

फॉक्सकॉन को लेकर संशोधित एलओसी जारी करने को कैबिनेट की मंजूरी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत वामासुंदरी इन्वेस्टमेंट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित सेमीकंडक्टर परियोजना 'फॉक्सकॉन' को लेकर संशोधित लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस परियोजना में लगभग 3706.12 करोड़ रुपये का निवेश होगा। भविष्य मे समूह अपना निवेश बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये तक करेगा।

इस संबंध में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की ओर से फॉक्सकान को आवंटित परियोजना स्थल में बदलाव किया गया है। इसके बाद निवेशक ने भूमि लागत को लेकर कुछ रियायतें मांगी थीं। इनमें भूमि के प्रीमियम, स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क को पूर्व प्रचलित सेक्टर दर पर अनुमन्य करने, जबकि लोकेशनल प्रीमियम और वन टाइम लीज रेंट को माफ करने का अनुरोध शामिल था।

राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव में यह कहा गया है कि अतिरिक्त वित्तीय भार, जिसमें स्टांप और निबंधन शुल्क में संभावित 100 प्रतिशत वृद्धि और भूमि लागत में हुई वृद्धि शामिल है, इसे ध्यान में रखते हुए निवेशक को 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। बढ़ी हुई दरों की वजह से निवेशक पर करीब 124 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आ गया था। इसमें 75 फीसदी राशि सब्सिडी के रूप में दी गई है जबकि शेष 25 फीसदी का भार यीडा उठाएगा। इसी के अनुरूप 7 नवंबर 2024 को जारी शासनादेश और 19 नवंबर 2024 को जारी लेटर ऑफ कंफर्ट मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से संशोधित किया जाएगा।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मंत्री सुनील शर्मा व योगेंद्र उपाध्याय। -सूचना विभाग

पहले चरण में ही 3780 लोगों को मिलेगा रोजगार

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री ने बताया कि इस फैसले से उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना का रास्ता साफ होगा। इस परियोजना से कुल 3780 लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें 780 को प्रत्यक्ष और लगभग 3000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। इससे प्रदेश के युवाओं को नई तकनीकी स्किल्स सीखने और उद्योग जगत से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना को मिली हरी झंडी

लखनऊ। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाली संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रत्येक पार्क के लिए 50 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी, जिससे प्रति पार्क 1500 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

हर पार्क के लिए 50 एकड़ जमीन, हर साल मिलेंगे 1500 से ज्यादा रोजगार

भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने और निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में वस्त्र उद्योग में 45 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। विकसित भारत की परिकल्पना के तहत 2030 तक 26.61 लाख करोड़ रुपये का कुल व्यापार लक्ष्य तय किया गया है। इसमें 80.46 लाख करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य शामिल है। उत्तर प्रदेश वस्त्र निर्यात में 10 फीसदी का योगदान करता है। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2014 और 2017 में वस्त्र नीतियां लागू की गई थीं। वस्त्र नीति-2017 के तहत राज्य सरकार को 2000 करोड़ रुपये के 219 निवेश प्रस्ताव मिले, जिसमें से 80 प्रस्तावों का क्रियान्वयन कर 2100 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। वहीं, वस्त्र नीति-2022 के तहत अब तक 6000 करोड़ रुपये के 225 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो पिछली नीति के मुकाबले तीन गुना अधिक है। अनुमान है कि इस योजना से हर वर्ष लगभग 1,500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ब्यूरो

दिवाली पर निशुल्क सिलिंडर मिलने का रास्ता साफ

लखनऊ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत होली-दिवाली अवसर पर 1 करोड़ 86 लाख लाभार्थी परिवारों को पिछले वर्ष की तरह ही दो निशुल्क एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। चालू वित्त वर्ष में इस पर 1385.34 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह निर्णय गरीब महिलाओं को राहत पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो